NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 12-05-2026

विषय सूची

भारत के परिवर्तित होते मौसमीय प्रतिरूपों की समझ

विदेश मुद्रा संरक्षण और विकास की निरंतरता

अपशिष्ट संकट हेतु विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण

जूट फसल के रूपांतरणात्मक कार्यान्वयन में राष्ट्रीय जूट बोर्ड की भूमिका

संक्षिप्त समाचार

- बैगा जनजाति
- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस
- 'वन केस वन डेटा' और 'सु सहय' पहल
- नियामकों का मंच (FOR)
- राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025
- सेहत मिशन
- रक्षा स्टाफ प्रमुख (CDS)

भारत के परिवर्तित होते मौसमीय प्रतिरूपों की समझ

संदर्भ

- भारत में पश्चिमी विक्षोभ, एल नीनो और ला नीना जैसी जलवायु संबंधी घटनाओं के कारण असमय वर्षा, हीट वेव तथा अत्यधिक आर्द्रता जैसी चरम मौसमी परिस्थितियाँ लगातार बढ़ रही हैं। ये घटनाएँ देश के मानसून, कृषि तथा जनस्वास्थ्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं।

हीट वेव (लू) क्या है?

- हीट वेव वह स्थिति है जब किसी क्षेत्र का तापमान सामान्य से अत्यधिक अधिक हो जाता है। इसका निर्धारण विभिन्न क्षेत्रों के ऐतिहासिक तापमान के आधार पर किया जाता है।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार हीट वेव घोषित करने के लिए निम्नलिखित मानदंड निर्धारित हैं—
    - मैदानी क्षेत्रों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस (°C) से अधिक हो।
    - तटीय क्षेत्रों में तापमान 37°C से अधिक हो।
    - पर्वतीय क्षेत्रों में तापमान 30°C से अधिक हो।

"फील्स लाइक" तापमान, हीट इंडेक्स तथा विंड चिल इंडेक्स

- **"फील्स लाइक" तापमान:** "फील्स लाइक" अथवा आभासी तापमान में वायु की गति और आर्द्रता दोनों को ध्यान में रखकर यह निर्धारित किया जाता है कि बाहरी तापमान मानव शरीर को वास्तव में कितना महसूस होगा।
- **हीट इंडेक्स :** हीट इंडेक्स आभासी तापमान का एक प्रकार है, जो वास्तविक तापमान और सापेक्षिक आर्द्रता को मिलाकर यह मापता है कि मानव शरीर को कितनी गर्मी महसूस होती है।
- **विंड चिल इंडेक्स :** विंड चिल इंडेक्स भी आभासी तापमान का एक प्रकार है, जिसमें तापमान और वायु की गति दोनों को सम्मिलित किया जाता है।
    - यह बताता है कि तीव्र वायु के कारण त्वचा को वास्तव में कितनी ठंड महसूस होती है, क्योंकि वायु शरीर द्वारा उत्पन्न गर्म वायु की पतली परत को हटाकर शरीर की ऊष्मा को कम कर देती है।

वेट बल्ब तापमान और ड्राई बल्ब तापमान

- **वेट बल्ब तापमान :** वेट बल्ब तापमान वह न्यूनतम तापमान है जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। यह ताप और आर्द्रता के संयुक्त प्रभाव को दर्शाता है।
    - **महत्व:** मानव शरीर पसीने और उसके वाष्पीकरण के माध्यम से स्वयं को ठंडा करता है। अधिक आर्द्रता वाष्पीकरण की प्रक्रिया को कम प्रभावी बना देती है, जिससे शरीर को ठंडा रखना कठिन हो जाता है।
- **ड्राई बल्ब तापमान :** ड्राई बल्ब तापमान वह वास्तविक वायु तापमान है जिसे सामान्य थर्मामीटर द्वारा मापा जाता है।
    - यह वायुमंडलीय आर्द्रता को ध्यान में नहीं रखता।

पश्चिमी विक्षोभ क्या है?

- पश्चिमी विक्षोभ एक अतिरिक्त-उष्णकटिबंधीय मौसम प्रणाली है, जिसका उद्गम भारत के बाहर होता है और जो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर बढ़ती है। यह भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी भागों में विशेषकर शीत ऋतु और प्रारंभिक वसंत के दौरान वर्षा, हिमपात और तूफान लाती है।
- **उत्पत्ति और निर्माण:** पश्चिमी विक्षोभ का उद्गम भूमध्यसागरीय क्षेत्र, काला सागर अथवा कैस्पियन सागर के आसपास होता है।
    - इनका निर्माण तब होता है जब ठंडी ध्रुवीय वायु गर्म एवं आर्द्र वायु के संपर्क में आती है, जिससे निम्न दाब प्रणाली बनती है।
    - ये प्रणालियाँ ऊपरी वायुमंडल की पश्चिमी पवनों, विशेषकर उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम, द्वारा पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं।
- **भारत में प्रभावित क्षेत्र:** जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश।

- **पश्चिमी विक्षोभ का महत्व:** उत्तर-पश्चिम भारत (जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड) में वार्षिक वर्षा का लगभग 30% भाग शीतकाल में प्राप्त होता है, जो मुख्यतः पश्चिमी विक्षोभ से संबंधित होता है।
  - पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा हिमालयी जलवायु, हिमनदों, हिम-जल भंडारण, वनस्पतियों, जीव-जंतुओं, कृषि फसलों तथा मानव जीवन को प्रभावित करती है।
  - पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त शीतकालीन वर्षा रबी फसलों, विशेषकर गेहूँ, सरसों और जौ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पर्याप्त वर्षा से मृदा की आर्द्रता, फसल उत्पादन और खाद्य सुरक्षा में वृद्धि होती है।

ENSO (एल नीनो-दक्षिणी दोलन) क्या है?

- ENSO भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर में समुद्र की सतही तापमान तथा वायुमंडलीय दाब में होने वाला आवधिक परिवर्तन है। इसके दो विपरीत चरण होते हैं— एल नीनो और ला नीना।
- ENSO भारतीय मानसून, चक्रवातीय गतिविधियों, सूखा-बाढ़ तथा वैश्विक तापमान परिवर्तनशीलता को प्रभावित करता है।

एल नीनो (El Niño) क्या है?

- एल नीनो भूमध्यरेखीय प्रशांत महासागर के मध्य-पूर्वी भाग में समुद्री जल के असामान्य रूप से गर्म होने की स्थिति है, जो प्रत्येक कुछ वर्षों में उत्पन्न होती है।
- एल नीनो के दौरान—
  - भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र का सतही तापमान बढ़ जाता है।
  - व्यापारिक पवनें (Trade Winds), जो भूमध्य रेखा के निकट पूर्व से पश्चिम दिशा में बहती हैं, कमजोर पड़ जाती हैं।

ला नीना (La Niña) क्या है?

- ला नीना, एल नीनो की विपरीत स्थिति है। इसमें भूमध्यरेखीय प्रशांत क्षेत्र में समुद्र सतह का तापमान सामान्य से कम हो जाता है।
  - व्यापारिक पवनें सामान्य से अधिक सुदृढ़ हो जाती हैं।
  - ये गर्म जल को एशिया की ओर धकेलती हैं।
- **प्रभाव:** इसके परिणामस्वरूप दक्षिणी अमेरिका में शुष्क परिस्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, जबकि कनाडा में भारी वर्षा होती है। यह ऑस्ट्रेलिया में भीषण बाढ़ से भी जुड़ी रही है।

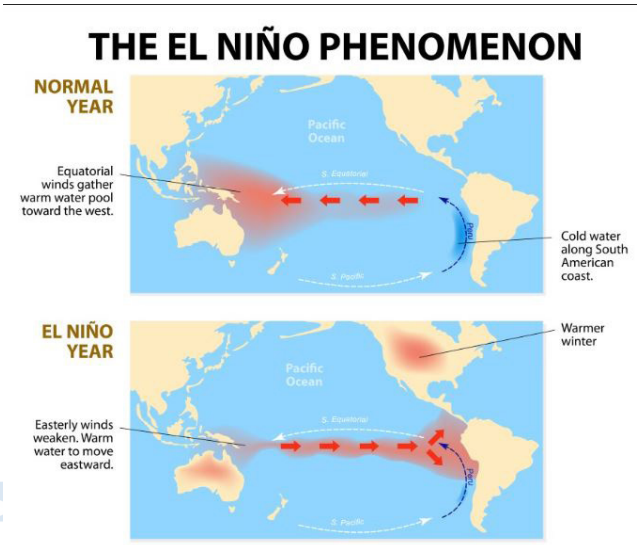

भारतीय मानसून पर इसका प्रभाव

- **एल नीनो का प्रभाव:** एल नीनो के वर्षों में भारत में तापमान अधिक तथा वर्षा कम होती है, जिससे कई क्षेत्रों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
  - इसका प्रभाव कृषि, जल संसाधनों तथा पारिस्थितिकी तंत्र पर पड़ता है।
    - एल नीनो की घटना के कारण वर्ष 2023-24 (जुलाई-जून) की फसल अवधि में खाद्यान्न उत्पादन में लगभग 1.4% की कमी दर्ज की गई।
- **ला नीना का प्रभाव:** ला नीना समुद्र सतह के तापमान को कम करती है, जिसके परिणामस्वरूप भारत के कुछ भागों में अधिक वर्षा होती है।

आगे की राह

- भारत को जलवायु पूर्वानुमान और प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिए।
- जलवायु-सहिष्णु कृषि तथा जल संरक्षण उपायों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- शहरी नियोजन में हरित अवसंरचना तथा ताप-नियंत्रण रणनीतियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए।
- लू से संबंधित स्वास्थ्य जोखिमों तथा आपदा तैयारी के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए।

Source: IE

विदेश मुद्रा संरक्षण और विकास की निरंतरता

संदर्भ

- प्रधानमंत्री मोदी द्वारा आयातित वस्तुओं की खपत कम करने की अपील ने इस परिचर्चा को पुनः जीवित कर दिया है कि भारत को विदेशी मुद्रा बचाने के लिए खपत कम करनी चाहिए या दीर्घकालिक आर्थिक विकास बनाए रखने के लिए उत्पादन और उत्पादकता को सुदृढ़ करना चाहिए।

विदेशी मुद्रा भंडार क्या हैं?

- विदेशी मुद्रा भंडार से आशय भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा रखी गई विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों से है।
- इन भंडारों में मुख्यतः अमेरिकी डॉलर जैसी विदेशी मुद्राएँ, स्वर्ण भंडार, विशेष आहरण अधिकार (SDRs), और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में आरक्षित स्थिति शामिल होती है।
- **महत्व:** विदेशी मुद्रा भंडार आवश्यक हैं क्योंकि वे भारत को आयात वित्तपोषित करने, रुपये को स्थिर बनाए रखने, निवेशकों का विश्वास बनाए रखने और आर्थिक संकट के समय बाहरी भुगतान दायित्वों को पूरा करने में सहायता करते हैं।

भारत को सुदृढ़ विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता क्यों है?

- **आयात पर निर्भरता:** भारत कच्चे तेल, उर्वरक, खाद्य तेल, सोना, इलेक्ट्रॉनिक्स और औद्योगिक मशीनरी के आयात पर अत्यधिक निर्भर है।
  - अतः भारत को निरंतर व्यापार और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार की आवश्यकता होती है।
- **बाहरी आघातों से सुरक्षा:** सुदृढ़ विदेशी मुद्रा भंडार वैश्विक वित्तीय अस्थिरता, बढ़ती तेल कीमतों, मुद्रा अस्थिरता और अचानक पूंजी बहिर्वाह के समय अर्थव्यवस्था की रक्षा करते हैं।
  - कमज़ोर विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों को प्रायः भुगतान संतुलन संकट और गंभीर मुद्रा अवमूल्यन का सामना करना पड़ता है।

भुगतान संतुलन (BoP)

- भुगतान संतुलन किसी विशेष अवधि में भारत और विश्व के अन्य देशों के बीच सभी आर्थिक लेन-देन का अभिलेख है।
- **BoP के घटक:**
  - **चालू खाता :** इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, प्रेषण एवं आय हस्तांतरण शामिल होते हैं। भारत सामान्यतः आयात अधिक करता है और निर्यात कम, जिसके परिणामस्वरूप चालू खाता घाटा (CAD) होता है।
  - **पूंजी खाता :** इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI), विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) और बाहरी उधारी शामिल होती है।
    - भारत ने परंपरागत रूप से अपने चालू खाता घाटे को विदेशी निवेशकों से पूंजी प्रवाह द्वारा वित्तपोषित किया है।

- विदेशी मुद्रा भंडार और रुपये की विनिमय दर का संबंध
- जब भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह बहिर्वाह से अधिक होता है, तो भुगतान संतुलन अधिशेष में रहता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार सुदृढ़ होते हैं और रुपया स्थिर रहता है।
- लेकिन जब आयात तीव्रता से बढ़ते हैं या विदेशी निवेश प्रवाह कमज़ोर होता है, तो डॉलर का बहिर्वाह प्रवाह से अधिक हो जाता है।
  - ऐसी स्थिति में विदेशी मुद्रा भंडार घटते हैं और रुपया डॉलर के मुकाबले अवमूल्यित होता है।

- कमज़ोर रुपया आयातित वस्तुओं जैसे कच्चे तेल और उर्वरकों की लागत एवं बढ़ा देता है, जिससे मुद्रास्फीति तथा बाहरी क्षेत्रीय दबाव और गंभीर हो जाते हैं।

खपत में कमी से संबंधित चिंताएँ

- **आर्थिक विकास पर प्रभाव:** निजी खपत भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
  - घरेलू व्यय में तीव्रता कमी समग्र आर्थिक मांग को कमज़ोर कर सकती है और आर्थिक विकास को धीमा कर सकती है।
  - स्वतंत्रता के बाद भारत ने आयात प्रतिस्थापन रणनीति अपनाई थी, जिसके परिणामस्वरूप औद्योगिक प्रतिस्पर्धा कमज़ोर रही, अक्षमता बढ़ी और आर्थिक विकास धीमा हुआ।
- **व्यवसाय निवेश पर प्रभाव:** व्यवसाय तब निवेश करते हैं जब उपभोक्ता मांग सुदृढ़ रहती है। कमजोर मांग कंपनियों को उत्पादन विस्तार और नए निवेश से हतोत्साहित करती है।
- **रोज़गार पर प्रभाव:** उत्पादन मांग कम होने से औद्योगिक विस्तार घट सकता है और रोज़गार सृजन प्रभावित हो सकता है।
- **विदेशी निवेश पर प्रभाव:** विदेशी निवेशक उन अर्थव्यवस्थाओं को प्राथमिकता देते हैं जहाँ मांग मजबूत और विकास की संभावना अधिक होती है। खपत को जानबूझकर दबाने से भारत निवेश गंतव्य के रूप में कम आकर्षक हो सकता है।

आगे की राह

- **आत्मनिर्भरता और वैश्विक एकीकरण में संतुलन:** भारत को अनावश्यक आयात कम करना चाहिए और साथ ही घरेलू विनिर्माण एवं निर्यात को सुदृढ़ करना चाहिए।
- नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार धीरे-धीरे आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम कर सकता है।
- औद्योगिक सुधार और तकनीकी प्रगति से उत्पादकता और निर्यात प्रतिस्पर्धा में सुधार होना चाहिए।
- **निवेश वातावरण को सुदृढ़ करना:** भारत को दीर्घकालिक घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए व्यापार सुगमता में सुधार जारी रखना चाहिए।

Source: IE

अपशिष्ट संकट हेतु विकेन्द्रीकृत दृष्टिकोण

संदर्भ

- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (SWM) नियम, 2026 के उद्देश्य पर्यावरणीय दृष्टि से उचित हैं, किंतु अत्यधिक केंद्रीकरण, कमजोर संघीय संरचना और राज्यों व स्थानीय निकायों के लिए अवास्तविक अनुपालन अपेक्षाओं को लेकर चिंताएँ व्यक्त की जा रही हैं।

SWM नियम, 2026 की आवश्यकता क्यों पड़ी?

- **भारत का बढ़ता अपशिष्ट संकट:** सरकारी अनुमान और नीतिगत रिपोर्टों के अनुसार:
  - भारत प्रतिदिन 1.5 लाख टन से अधिक नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है, जिसका बड़ा हिस्सा अनुपचारित या वैज्ञानिक रूप से अप्रबंधित रहता है।
  - प्लास्टिक अपशिष्ट और अनुपचारित सीवेज नदियों और तटीय क्षेत्रों को प्रदूषित करते हैं।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में पैकेज्ड उपभोग के कारण गैर-बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट की तीव्र वृद्धि हो रही है।
- **पर्यावरणीय परिणाम:** लैंडफिल से मीथेन उत्सर्जन, लीचेट द्वारा भूजल प्रदूषण, अवरुद्ध नालियों से शहरी बाढ़, खुले में जलाने से वायु प्रदूषण, समुद्री अपशिष्ट और माइक्रोप्लास्टिक।
  - इस प्रकार, सशक्त अपशिष्ट-प्रबंधन विनियम आवश्यक हो गए।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2026 की प्रमुख विशेषताएँ

- **स्रोत पृथक्करण:** गीला अपशिष्ट, सूखा अपशिष्ट, स्वच्छता संबंधी अपशिष्ट और विशेष देखभाल अपशिष्ट में अनिवार्य पृथक्करण।

- **वैज्ञानिक अपशिष्ट प्रसंस्करण:** कम्पोस्टिंग, बायोमीथनेशन, पुनर्चक्रण और अपशिष्ट-से-ऊर्जा प्रणालियों को बढ़ावा।
- **लैंडफिल पर निर्भरता में कमी:** विरासत कचरे का उपचार, लैंडफिल खनन और परिपत्र अर्थव्यवस्था सिद्धांतों पर ध्यान।
- **डिजिटल शासन:** केंद्रीकृत रिपोर्टिंग पोर्टल, ऑनलाइन अनुपालन तंत्र, डेटा ऑडिट और निगरानी।
- **थोक अपशिष्ट उत्पादकों का विनियमन:** होटल, संस्थान, गेटेड सोसाइटी और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को जिम्मेदारीपूर्वक अपशिष्ट प्रसंस्करण करना अनिवार्य।

संवैधानिक और संघीय आयाम

- **अनुच्छेद 253 और पर्यावरणीय शासन:** SWM नियम पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत बनाए गए हैं, जो संविधान के अनुच्छेद 253 के अनुसार अधिनियमित है।
    - **अनुच्छेद 253:** संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौतों और दायित्वों (जैसे स्टॉकहोम घोषणा, 1972 और पर्यावरणीय संधियाँ) को लागू करने हेतु विधि बनाने का अधिकार देता है।
    - यह संघ को सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, कृषि और स्थानीय शासन से जुड़े विषयों पर भी व्यापक विधायी अधिकार प्रदान करता है।

संबंधित चिंताएँ और मुद्दे

- **संघवाद और उपसिद्धांत का सिद्धांत:** अपशिष्ट प्रबंधन स्थानीय भूगोल, बसावट पैटर्न, नागरिक व्यवहार, अनौपचारिक अपशिष्ट श्रमिकों, स्थानीय पुनर्चक्रण बाजारों और भूमि उपलब्धता पर अत्यधिक निर्भर करता है। अतः एक समान राष्ट्रीय मॉडल प्रत्येक स्थान कारगर नहीं हो सकता।
- यद्यपि राज्य रणनीतियाँ बना सकते हैं, परंतु ढाँचा मुख्यतः केंद्रीकृत रहता है। इससे राज्यों की स्वायत्तता, नवाचार और संस्थागत सीख सीमित होती है।
- **अत्यधिक केंद्रीकरण की समस्या ('वन-साइज़-फिट्स-ऑल' दृष्टिकोण):** नियम मेगासिटी, छोटे नगर, ग्रामीण पंचायतें, पहाड़ी क्षेत्र (नाज़ुक पारिस्थितिकी, संकरी सड़कें), तटीय बस्तियाँ (समुद्री अपशिष्ट, ज्वारीय बाढ़) और जनजातीय क्षेत्र (कम जनसंख्या, परिवहन कठिनाई) में एक समान अनुपालन ढाँचा लागू करने का प्रयास करते हैं।
- यह प्रशासनिक असंगति उत्पन्न करता है।
- **ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए चुनौतियाँ:** नियम ग्राम पंचायतों पर जटिल अनुपालन दायित्व लागू करते हैं, जबकि उनकी क्षमता सीमित है।
    - मुख्य बाधाएँ हैं: स्वच्छता कर्मियों की कमी, अपर्याप्त वाहन, कमजोर डिजिटल अवसंरचना, सीमित वित्तीय संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता का अभाव।
        - फिर भी पंचायतों से अपेक्षा की जाती है कि वे पृथक्करण प्रणाली बनाए रखें, डिजिटल रिपोर्टिंग करें और सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाओं (MRFs) का प्रबंधन करें।

विभेदित शहरी शासन की आवश्यकता

- **मेगासिटी को मजबूत संस्थानों की आवश्यकता:** बड़े शहरों को महानगरीय अपशिष्ट प्रबंधन प्राधिकरण, तकनीकी विशेषज्ञता, नागरिक पर्यवेक्षण, निर्वाचित स्थानीय प्रतिनिधित्व और वैज्ञानिक योजना की आवश्यकता है।
- **राज्य 'नवाचार की प्रयोगशालाएँ' के रूप में:** अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय ने राज्यों को नीति नवाचार की 'प्रयोगशालाएँ' कहा था।
    - विभिन्न राज्य विकेन्द्रीकृत कम्पोस्टिंग, अनौपचारिक श्रमिक एकीकरण, उपयोगकर्ता-शुल्क प्रणाली, क्लस्टर अपशिष्ट मॉडल और महिला स्वयं सहायता समूह (SHG) आधारित अपशिष्ट प्रणालियों का परीक्षण कर सकते हैं। सफल मॉडल राष्ट्रीय स्तर पर दोहराए जा सकते हैं।

- **डिजिटल केंद्रीकरण को लेकर चिंताएँ:** नियम CPCB रिपोर्टिंग, मानकीकृत प्रारूप, डिजिटल अपलोड और केंद्रीय डेटा ऑडिट को अनिवार्य करते हैं।
    - इससे अनुपालन रिपोर्टिंग पर अत्यधिक ध्यान, नौकरशाही भार, 'डैशबोर्ड शासन' और स्थानीय जवाबदेही में कमी का जोखिम है।
- **वित्तीय चिंताएँ:** नियम नगरपालिकाओं और पंचायतों की जिम्मेदारियों को काफी बढ़ा देते हैं।
    - लेकिन पूर्वानुमेय अनुदान, सूत्र-आधारित वित्तपोषण और राजस्व समर्थन के बिना कार्यान्वयन कमजोर रह सकता है।
- **पर्यावरणीय शासन का न्यायिकरण:** कार्यान्वयन विफल होने पर जनहित याचिकाएँ (PILs), न्यायिक निगरानी और सतत आदेश उत्पन्न हो सकते हैं।
- यह पर्यावरणीय सुधार को दीर्घकालिक न्यायिक प्रशासन में परिवर्तित कर सकता है।
- भारत पहले ही वायु प्रदूषण, नदी प्रदूषण और अपशिष्ट-प्रबंधन मामलों में ऐसी प्रवृति देख चुका है।

आगे की राह (सुझाए गए सुधार)

- **न्यूनतम राष्ट्रीय मानक:** संघ को केवल आधारभूत पर्यावरणीय सुरक्षा मानक निर्धारित करने चाहिए।
- **राज्य लचीलापन:** राज्यों को स्थानीय वास्तविकताओं के अनुरूप कार्यान्वयन मॉडल तैयार करने चाहिए।
- **सशक्त स्थानीय निकाय:** नगरपालिकाओं और पंचायतों को प्रशासनिक स्वायत्तता, तकनीकी कर्मचारी एवं स्थानीय योजना शक्तियाँ मिलनी चाहिए।
- **पूर्वानुमेय वित्तपोषण:** अपशिष्ट प्रबंधन को समर्पित अनुदान, प्रदर्शन-आधारित समर्थन और दीर्घकालिक वित्तीय तंत्र मिलना चाहिए।
- **नागरिक जवाबदेही:** वार्ड समितियों, ग्राम सभाओं और सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रणालियों को सुदृढ़ करना चाहिए।

Source: TH

जूट फसल के रूपांतरणात्मक कार्यान्वयन में राष्ट्रीय जूट बोर्ड की भूमिका

- भारत के जूट क्षेत्र का विकास जूट फसल सूचना प्रणाली (JCIS) के क्रियान्वयन के साथ एक निर्णायक नए चरण में प्रवेश कर चुका है।

परिचय

- राष्ट्रीय जूट बोर्ड ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) और जूट निगम ऑफ इंडिया के सहयोग से 2023 से जूट फसल सूचना प्रणाली परियोजना का क्रियान्वयन किया है।
- **उद्देश्य:** रिमोट सेंसिंग और क्षेत्रीय आंकड़ों का उपयोग कर जूट की खेती की निगरानी करना। इस पहल के अंतर्गत दो प्रमुख उपकरण विकसित किए गए हैं:
    - **BHUVAN JUMP:** क्षेत्रीय जूट निगरानी हेतु मोबाइल ऐप।
    - **PATSAN (मोबाइल ऐप-आधारित क्षेत्रीय प्रेक्षणों का उपयोग करके जूट का संभावित मूल्यांकन):** वेब-आधारित प्लेटफ़ॉर्म जो लगभग वास्तविक समय में जूट निगरानी और विश्लेषण प्रदान करता है, जिससे अधिकारियों एवं हितधारकों को सूचित निर्णय लेने में सहायता मिलती है।

JCIS की आवश्यकता

- JCIS के लागू होने से पूर्व जूट पारिस्थितिकी तंत्र संरचनात्मक सीमाओं से ग्रस्त था, जिसने योजना और उत्पादकता दोनों को बाधित किया।
- फसल क्षेत्र और उत्पादन अनुमान खंडित इनपुट और विशेषज्ञ आकलनों पर आधारित थे, जिससे असंगतियाँ एवं विलंब उत्पन्न होते थे।
- क्षेत्रीय आंकड़ा संग्रहण मैनुअल था, जिसमें मानकीकरण और भू-संदर्भ का अभाव था।

- बाढ़, सूखा, कीट या तापमान भिन्नताओं से उत्पन्न फसल तनाव का वास्तविक समय में पता लगाने की व्यवस्था न होने से प्रतिक्रिया में विलंब और अधिक फसल हानि होती थी।

भारत में जूट उत्पादन

- इसे "स्वर्ण तंतु" कहा जाता है क्योंकि यह प्राकृतिक, नवीकरणीय, जैव-अपघटनीय और पर्यावरण-अनुकूल उत्पाद है।
- भारत जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद बांग्लादेश और चीन आते हैं।
    - किंतु क्षेत्रफल और व्यापार की दृष्टि से बांग्लादेश अग्रणी है, जो वैश्विक जूट निर्यात का तीन-चौथाई हिस्सा रखता है।
    - भारत में जूट का अधिकांश हिस्सा घरेलू मांग के कारण देश में ही उपभोग होता है, औसतन 90% उत्पादन घरेलू खपत में जाता है।
- जूट क्षेत्र लगभग 4 लाख श्रमिकों को प्रत्यक्ष रोजगार देता है और लगभग 40 लाख कृषक परिवारों की आजीविका का समर्थन करता है।
- पश्चिम बंगाल, बिहार और असम भारत के कुल उत्पादन का लगभग 99% हिस्सा रखते हैं।

जूट उत्पादन हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ

- **तापमान:** अधिकतम औसत 34°C और न्यूनतम औसत 15°C, साथ ही 65% औसत आर्द्रता।
- **वर्षा:** लगभग 150-250 सेमी।
- **मृदा:** जूट सभी प्रकार की मिट्टी (क्ले से रेतीली दोमट) पर उगाया जा सकता है, किंतु दोमट जलोढ़ मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है।

भारत में जूट उद्योग की चुनौतियाँ

- **कृत्रिम तंतुओं से प्रतिस्पर्धा:** पॉलीप्रोपाइलीन और पॉलिएस्टर जैसे कृत्रिम तंतु जूट के लिए कठोर प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हैं।
- **नवाचार और उत्पाद विविधीकरण का अभाव:** उद्योग सीमित उत्पाद नवाचार और विविधीकरण का सामना कर रहा है।
- **गुणवत्ता संबंधी समस्याएँ:** रेटिंग प्रक्रिया में जूट गट्ठरों को लगभग 30 सेमी गहराई तक पानी में रखा जाता है। आदर्श रूप से यह धीमी गति से बहने वाले स्वच्छ जल स्रोतों में होना चाहिए, किंतु भारतीय किसानों के पास ऐसे संसाधन नहीं हैं।
- **जूट मिलों की चिंताएँ:** मशीनरी आधुनिकीकरण, कुप्रबंधन, श्रमिकों की कमी, अशांति और सरकार पर निर्भरता।
- **मूल्य अस्थिरता:** जलवायु परिस्थितियों और मांग-आपूर्ति असंतुलन से प्रभावित होकर जूट की कीमतें अस्थिर रहती हैं।

जूट उत्पादन हेतु सरकारी कदम

- **जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 (अनिवार्य वस्तुओं की पैकिंग में उपयोग):** सरकार ने खाद्यान्नों के लिए 100% और चीनी के लिए 20% आरक्षण जूट पैकेजिंग सामग्री हेतु रखा है।
    - कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP)।
- **राष्ट्रीय जूट विकास कार्यक्रम (NJDP):** 2021-22 से 2025-26 तक जूट क्षेत्र के समग्र विकास और प्रोत्साहन हेतु स्वीकृत।

NJDP के अंतर्गत योजनाएँ:

- **जूट ICARE:** वैज्ञानिक विधियों द्वारा जूट की खेती और रेटिंग अभ्यास का परिचय।
- **जूट संसाधन सह उत्पादन केंद्र (JRCPC):** नए कारीगरों को प्रशिक्षण देकर जूट विविधीकरण कार्यक्रमों का प्रसार।
- **जूट कच्चा माल बैंक (JRMB):** जूट कारीगरों और MSMEs को मिल गेट मूल्य पर कच्चा माल उपलब्ध कराना।
- **जूट डिज़ाइन संसाधन केंद्र (JDRC):** बाज़ार योग्य नवाचारी जूट उत्पादों का डिज़ाइन और विकास।
- **उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना:** जूट मिलों और MSME इकाइयों को अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु समर्थन।

- **बाज़ार विकास और प्रोत्साहन गतिविधियाँ:** गुणवत्ता प्रमाणन हेतु जूट मार्क लोगो का विकास और प्रचार अभियान।

जूट निगम ऑफ इंडिया लिमिटेड (JCI)

- JCI को भारत सरकार ने 1971 में मूल्य समर्थन एजेंसी के रूप में स्थापित किया था, जिसका उद्देश्य किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर कच्चा जूट खरीदना है।
- इसका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं बल्कि जूट खेती में संलग्न परिवारों के हितों की रक्षा करना है।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

बैगा जनजाति

संदर्भ

- छत्तीसगढ़ में बंधुआ मज़दूरी से मुक्त कराए गए बैगा जनजाति के बच्चे।

परिचय

- बैगा मध्य भारत में पाई जाने वाली एक जातीय जनजाति है, जो मुख्यतः मध्य प्रदेश में और कुछ संख्या में उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा झारखंड में निवास करती है।
- "बैगा" नाम का अर्थ है "जादूगर-वैद्य"।
- छत्तीसगढ़ में बैगा जनजाति को सरकार ने घटती जनसंख्या और निम्न साक्षरता स्तर के कारण **विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTG)** के रूप में वर्गीकृत किया है।
- पारंपरिक रूप से वे स्थानांतरित खेती करते थे, जिसे स्थानीय रूप से "बेवाड़" खेती कहा जाता है।

विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs)

- 1973 में धेबर आयोग ने आदिम जनजातीय समूहों (PTGs) की अलग श्रेणी बनाई।
  - 1975 में केंद्र ने 52 जनजातीय समूहों को PTGs के रूप में पहचाना।
  - 1993 में 23 और समूह जोड़े गए। बाद में 2006 में इन्हें PVTGs नाम दिया गया।
- PVTGs भारत में जनजातीय समूहों में अधिक संवेदनशील माने जाते हैं।
  - इन समूहों की विशेषताएँ हैं: आदिम लक्षण, भौगोलिक अलगाव, निम्न साक्षरता, शून्य या नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर और पिछड़ापन।
  - ये मुख्यतः शिकार पर निर्भर रहते हैं और कृषि-पूर्व स्तर की तकनीक का उपयोग करते हैं।
- 700 से अधिक जनजातीय समुदायों में से 75 जनजातीय समुदायों को PVTGs के रूप में पहचाना गया है, जो 18 राज्यों और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में निवास करते हैं।
  - जनजातीय कार्य मंत्रालय के अनुसार, PVTG जनसंख्या का अनुमान 45.56 लाख है।
  - मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश PVTG जनसंख्या के मामले में शीर्ष तीन राज्य हैं।

स्रोत: TOI

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

संदर्भ

- राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष 11 मई को मनाया जाता है।

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस

- यह दिवस 1998 में राजस्थान के पोखरण में ऑपरेशन शक्ति के अंतर्गत किए गए सफल परमाणु परीक्षणों की स्मृति में मनाया जाता है।
- यह दिवस भारतीय वैज्ञानिकों, अभियंताओं और तकनीकी संस्थानों के राष्ट्रीय विकास एवं सामरिक क्षमता में योगदान को मान्यता देता है।

पोखरण-II परमाणु परीक्षण

- भारत ने 11 और 13 मई 1998 को पोखरण परीक्षण क्षेत्र में पाँच भूमिगत परमाणु परीक्षण किए।
- पहले तीन परीक्षण 11 मई को एक साथ किए गए, इसके बाद 13 मई को दो अतिरिक्त परीक्षण हुए।

- इस अभियान ने भारत की क्षमता को प्रदर्शित किया:
  - विखंडन हथियार,
  - निम्न-उपज सामरिक उपकरण,
  - और थर्मोन्यूक्लियर हथियार डिज़ाइन।

सामरिक महत्व

- परीक्षणों के बाद भारत ने स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित किया।
- इन परीक्षणों ने भारत की "विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोध" और "पहले उपयोग नहीं" (NFU) नीति की नींव रखी।

स्रोत: TH

'वन केस वन डेटा' और 'सु सहय' पहल

समाचार में

- हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने 'वन केस वन डेटा' और 'सु सहय' पहल शुरू की।

वन केस वन डेटा पहल

- यह एक प्रमुख डिजिटल पहल है, जिसका उद्देश्य तालुका और जिला न्यायालयों से लेकर उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय तक सभी स्तरों के न्यायालयों को एकीकृत डेटाबेस प्रणाली से जोड़ना है।
- इसका लक्ष्य एक व्यापक और परस्पर जुड़ी डिजिटल न्यायिक सूचना प्रणाली बनाकर केस प्रबंधन में सुधार करना है।

'सु सहय' चैटबॉट

- यह एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित सहायक चैटबॉट है।
- इसे सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट में एकीकृत किया गया है ताकि वादकारियों के लिए न्याय और न्यायालय-संबंधी सेवाओं तक आसान पहुँच सुनिश्चित हो सके।
- इसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री के सहयोग से विकसित किया है।

स्रोत: TH

नियामकों का मंच (FOR)

समाचार में

- नियामकों के मंच ने भारत मंडपम में अपनी 100वीं बैठक आयोजित की, जो इसकी स्थापना के 21 वर्ष पूरे होने का उत्सव था।

परिचय

- इसकी स्थापना 16 फरवरी 2005 को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अंतर्गत की गई थी।
- यह एक वैधानिक मंच है जो केंद्रीय और राज्य विद्युत नियामक आयोगों को एक साथ लाकर विद्युत क्षेत्र में नियामक प्रथाओं के समन्वय एवं सुधार को बढ़ावा देता है।

संरचना

- इसमें केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग (CERC) के अध्यक्ष और राज्य विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल होते हैं।
- CERC का अध्यक्ष मंच का प्रमुख होता है, जबकि CERC का सचिव इसके पदेन सचिव के रूप में कार्य करता है।
- केंद्रीय आयोग सचिवालयीय सहयोग प्रदान करता है और मंच का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।

कार्य

- केंद्रीय और राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों एवं नियामक निर्णयों पर डेटा एकत्र तथा विश्लेषित करना।
- सब्सिडी लेखांकन की निगरानी करना ताकि वितरण कंपनियाँ कानून के अंतर्गत सही ढंग से सरकारी सब्सिडी की गणना और प्राप्ति कर सकें।
- वितरण लाइसेंसधारियों, कैप्टिव उपयोगकर्ताओं और ओपन-एक्सेस उपभोक्ताओं द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा खरीद लक्ष्यों के अनुपालन को ट्रैक करना।
- विद्युत क्षेत्र में विनियमों का सामंजस्य बढ़ावा देना।
- विद्युत लाइसेंसधारियों के लिए प्रदर्शन मानक निर्धारित करना।

- नियामक आयोगों के बीच सूचना साझा करना और समन्वय को सुगम बनाना।
- विद्युत क्षेत्र के नियामक मुद्दों पर अनुसंधान करना या करवाना।
- उपभोक्ता हितों की रक्षा करना और साथ ही दक्षता, अर्थव्यवस्था और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना।
- केंद्र सरकार द्वारा सौंपे गए अतिरिक्त दायित्वों का निर्वहन करना।

प्रगति

- इसने ओपन एक्सेस, टैरिफ युक्तिकरण और यूटिलिटी अनबंडलिंग जैसे प्रमुख विद्युत क्षेत्र सुधारों पर चर्चा एवं सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- यह सुधारों का मार्गदर्शन करने और क्षेत्र को नियामक चुनौतियों से निपटने में सहायता करने वाली एक महत्वपूर्ण संस्था बन गई है।
- इसने 71 अध्ययन, 55 क्षमता निर्माण कार्यक्रम, 25 मॉडल विनियम जारी किए और 6 तकनीकी समिति रिपोर्ट एवं 37 कार्य समूह रिपोर्ट प्रस्तुत की हैं।
- इन पहलों ने भारत में विद्युत क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

स्रोत: PIB

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025

समाचार में

- मिज़ोरम के कौरथाह नॉर्थ विलेज काउंसिल ने सतत ग्रामीण विकास और पर्यावरण संरक्षण में अपने कार्य के लिए दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार 2025 की "स्वच्छ एवं हरित पंचायत" श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष स्थान प्राप्त किया।

राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार

- पंचायती राज मंत्रालय प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रदान करता है ताकि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को मान्यता एवं प्रोत्साहन दिया जा सके तथा ग्रामीण भारत में समावेशी, सहभागी और सतत विकास को बढ़ावा दिया जा सके।
- ये पुरस्कार **पंचायतों के प्रोत्साहन (IoP) योजना** के अंतर्गत दिए जाते हैं, जो **राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA)** की केंद्रीय प्रायोजित योजना का प्रमुख घटक है।
- विजेता पंचायतों को श्रेणी और स्तर के अनुसार 50 लाख रुपये से 5 करोड़ रुपये तक की वित्तीय प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

श्रेणियाँ

- **दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार** ग्राम पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों से जुड़े विषयों जैसे गरीबी-मुक्त आजीविका, स्वास्थ्य, जल पर्याप्तता, स्वच्छता, महिला-हितैषी शासन और सामाजिक न्याय में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है।
- **नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार** के अंतर्गत जिला, ब्लॉक और ग्राम स्तर पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा।

उद्देश्य

- इन पुरस्कारों का उद्देश्य पंचायतों को स्थानीय शासन, सेवा वितरण और सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में सामुदायिक पहल के माध्यम से सुधार के लिए प्रोत्साहित करना है।
- यह पंचायतों की भूमिका को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को **विकसित भारत 2047** की दिशा में रूपांतरित करने में सुदृढ़ करता है।

नवीनतम विजेता

- कर्नाटक ने सर्वाधिक छह पंचायतों के चयन के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने पाँच-पाँच पुरस्कार हासिल किए हैं।

स्रोत: AIR

सेहत मिशन

समाचार में

- केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री तथा रसायन और उर्वरक मंत्री ने दिल्ली में 'सेहत मिशन' का शुभारंभ किया।

SEHAT (कृषि रूपांतरण के माध्यम से स्वास्थ्य के लिए वैज्ञानिक उत्कृष्टता)

- यह एक राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य कृषि, पोषण और जनस्वास्थ्य को जोड़ना है, ताकि कृषि नवाचारों को भारत में लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य परिणामों में परिवर्तित किया जा सके।
- यह भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (ICMR) और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की संयुक्त पहल है।

फोकस और प्राथमिकता क्षेत्र

- कुपोषण से निपटने और पोषण स्तर सुधारने हेतु जैव-संवर्धित एवं पोषक तत्वों से भरपूर फसल किस्मों का विकास तथा मूल्यांकन।
- आहार विविधीकरण को बढ़ावा देने, कृषि आय बढ़ाने और लचीलापन निर्माण हेतु एकीकृत कृषि प्रणालियों को सुदृढ़ करना।
- कृषि श्रमिकों में व्यावसायिक स्वास्थ्य जोखिमों को लक्षित, साक्ष्य-आधारित हस्तक्षेपों के माध्यम से संबोधित करना।
- कार्यात्मक खाद्य पदार्थों और पोषण-संपन्न फसल किस्मों को बढ़ावा देकर गैर-संचारी रोगों की रोकथाम तथा प्रबंधन हेतु कृषि-सक्षम रणनीतियों को आगे बढ़ाना।
- मानव–पशु–पर्यावरण इंटरफ़ेस पर एकीकृत निगरानी, निदान और अनुसंधान के माध्यम से **वन हेल्थ** तैयारी को सुदृढ़ करना।

उद्देश्य

- जैव-संवर्धित खाद्य पदार्थों, एकीकृत कृषि, कृषि श्रमिकों के बेहतर व्यावसायिक स्वास्थ्य और वन हेल्थ मिशन के समर्थन के माध्यम से पोषण एवं जनस्वास्थ्य में सुधार करना।
- साक्ष्य-आधारित और विस्तार योग्य समाधान तैयार करना, कृषि एवं स्वास्थ्य क्षेत्रों के बीच समन्वय को सुदृढ़ करना तथा पोषण, निवारक स्वास्थ्य देखभाल, गैर-संचारी रोग, किसान कल्याण और जनस्वास्थ्य चुनौतियों का समाधान करने हेतु डेटा-आधारित नीतियाँ बनाना।

स्रोत: PIB

रक्षा स्टाफ प्रमुख (CDS)

संदर्भ

- भारत सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि को नया रक्षा स्टाफ प्रमुख (CDS) नियुक्त किया है।
- वे सैन्य मामलों के विभाग (DMA) के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

रक्षा स्टाफ प्रमुख (CDS)

- CDS का पद 2019 में कारगिल समीक्षा समिति और उसके बाद किए गए रक्षा सुधारों की सिफारिशों के आधार पर बनाया गया था।
- भारत के पहले CDS जनरल बिपिन रावत थे।

CDS की भूमिका और जिम्मेदारियाँ

- **प्रधान सलाहकार:** रक्षा मंत्री के लिए सभी त्रि-सेवा मामलों पर प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- **सैन्य मामलों का विभाग:** भारत सरकार के लिए सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में कार्य करता है।
- **सैन्य सुधार:** संचालन में तालमेल, संयुक्तता और सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करता है।
- **थिएटर कमांड्स:** सैन्य कमांडों को एकीकृत थिएटर कमांड्स में पुनर्गठित करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है।
- **रणनीतिक और परमाणु भूमिका:** परमाणु कमांड प्राधिकरण के लिए एक महत्वपूर्ण सैन्य सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

स्रोत: PIB

■■■